**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. \*336**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**पश्चिमी-घाटों के संरक्षण के लिए कानून**

**\*336. Jhश्री ए.के. सेल्‍वाराज :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार पर्यावरणीय दृष्टि से संपन्‍न पश्चिमी-घाटों के लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए निषिद्ध करने संबंधी कानून बनाने में तीन वर्षों में दूसरी बार विफल रही है;

(ख) क्‍या यह भी सच है कि राज्‍यों ने केन्‍द्रीय सरकार को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाये जाने में निरंतर हो रही देरी के लिए विवश किया है; और

(ग) क्‍या यह भी सच है कि सरकार इस संबंध में सभी राज्‍य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*\*\*

**'पश्चिमी-घाटों के संरक्षण के लिए कानून' के बारे में दिनांक 03.04.2017 को उत्तर के लिए Jhश्री ए.के. सेल्‍वाराज द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न सं. 336 के भाग (क) से (ग)** **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उच्‍च स्‍तरीय कार्यदल (एचएलडब्‍ल्‍यूजी) के निष्‍कर्षों के आधार पर छह राज्‍यों नामत: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्‍ट्र और गुजरात में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर के निकटर्ती क्षेत्र के साथ पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए दिनांक 10.03.2014 को एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की थी ।

 विभिन्‍न पक्षकारों द्वारा व्‍यक्‍त की गई चिंताओं/आशंकाओं का निराकरण करने के बाद, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रारूप अधिसूचना को दिनांक 04.09.2015 को पुन: प्रकाशित किया गया परंतु राज्‍यों से अंतिम रिपोर्ट प्राप्‍त न होने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस बारे में, दिनांक 11.08.2016 को पश्चिमी घाट क्षेत्र के संसद-सदस्‍यों की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह माना गया कि अलग-अलग राज्‍यों की अलग-अलग समस्‍याएं हैं जिनका पुन: विचार-विमर्श करके निराकरण किया जाना आवश्‍यक है और आगे की कार्यवाही का आधार दिनांक 04.09.2015 की प्रारूप अधिसूचना होगी।

 इस मंत्रालय ने पहले की प्रारूप अधिसूचना के अधिक्रमण में, पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रारूप अधिसूचना दिनांक 27.02.2017 को पुन: प्रकाशित करके उस पर पक्षकारों की टिप्‍पणियां मांगी हैं। इसके अतिरिक्‍त, पश्चिमी घाट के राज्‍यों से भी कहा गया है कि वे आवश्‍यक मानचित्रों के साथ-साथ अपने अंतिम विचार/टिप्‍पणियां भिजवाएं ताकि उन पर विचार करके उक्‍त अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जा सके।

\*\*\*\*\*